



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़
OFFICE OF THE Pr. CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, (MP&CG)
“आयकर भवन”, होशंगाबाद रोड, भोपाल
“AAYAKAR BHAWAN,” HOSHANGABAD ROAD, BHOPAL (MP) - 462011
Phone : 0755-2525414
Email: bhopal.dcit.tech.pccit@incometax.gov.in

F.No. Pr.CCIT/MP&CG/Tech./Valuers-514/2026-27

Date: 06.08.2026

CIRCULAR

Subject: Registration of Valuers under section 514 of the Income-tax Act, 2025 — updation of registration by existing Valuers registered under the Wealth-tax Act, 1957 - filing of Form No. 169 on or before 30.09.2026 — regarding.

Reference: Section 514 of the Income-tax Act, 2025; Rule 246 and Rule 247 of the Income-tax Rules, 2026.

1. Attention of all Valuers registered under the Wealth-tax Act, 1957 and holding a valid certificate of registration issued by the office of the Principal Chief Commissioner of Income-tax, MP & CG, Bhopal, as on 31.03.2026, is invited to the provisions of section 514 of the Income-tax Act, 2025, read with Rule 246 of the Income-tax Rules, 2026, governing registration of Valuers.
2. As per sub-rule (4) of Rule 246 of the Income-tax Rules, 2026, every person who is already registered as a Valuer under the Wealth-tax Act, 1957, holding a valid certificate of registration as on 31.03.2026, shall continue to be a registered Valuer under section 514 of the Income-tax Act, 2025. **However, such person is required to update his/her details by filing a fresh application in Form No. 169 on or before 30.09.2026 for re-registration** and the registration shall be granted by the concerned authority under section 514 upon such application being found complete in all respects.
3. As per sub-rule (5) of Rule 246 ibid, no fee is payable for filing of the said application by existing Valuers for the purposes of updation of registration.
4. All Valuers registered under the Wealth-tax Act, 1957 and falling within the ambit of this circular are accordingly required to file the updated application in Form No. 169, complete in all respects along with the requisite documents, with the Principal Chief Commissioner of Income-tax, MP & CG, Bhopal, on or before **30.09.2026**.

5. It is hereby clarified that in case any Valuer fails to file the application in Form No. 169 on or before 30.09.2026, the registration of such Valuer under section 514 of the Income-tax Act, 2025 shall be deemed to be cancelled with effect from 01.10.2026, and such person shall cease to be a registered Valuer for all purposes under the Income Tax Act, 2025.

6. All Valuers are, therefore, advised to take note of the above and ensure timely compliance so as to avoid cancellation of their registration.

7. This issues with the approval of Principal Chief Commissioner of Income tax, MP & CG, Bhopal.

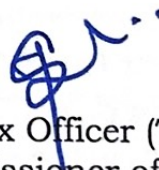

(T. Suresh)

Income Tax Officer (Tech.)

O/o Pr. Chief Commissioner of Income tax (MP & CG), Bhopal

Copy to:

1. The Chief Commissioner of Income Tax, Raipur, for kind information.
2. The Pr. Commissioner of Income Tax-I, Bhopal/ Jabalpur/ Indore, for kind information.
3. The Pr. Commissioner of Income Tax, Gwalior for kind information.
4. The JDIT(Systems), O/o PCCIT(MP&CG), Bhopal- for uploading on the official website of the Income Tax Department, Bhopal.
5. All Building In-charges, for displaying on the notice boards of their respective buildings.


Income Tax Officer (Tech.)

For the Pr. Chief Commissioner of Income tax,
Bhopal



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़
OFFICE OF THE Pr. CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, (MP&CG)
“आयकर भवन”, होशंगाबाद रोड, भोपाल
“AAYAKAR BHAWAN,” HOSHANGABAD ROAD, BHOPAL (MP) - 462011
Phone : 0755-2525414
Email: bhopal.dcit.tech.pccit@incometax.gov.in

फा.सं. प्र.मु.आ.आ./म.प्र.एवंछ.ग./तक./मूल्यांकनकर्ता-514/2026-27

दिनांक : 06.08.2026

कार्यालय परिपत्र

विषय: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 514 के अंतर्गत मूल्यांकनों का पंजीकरण – धन-कर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत पंजीकृत वर्तमान मूल्यांकनों द्वारा पंजीकरण का अद्यतन (Updation) – दिनांक 30.09.2026 तक प्रपत्र सं. 169 प्रस्तुत किए जाने के संबंध में।

संदर्भ: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 514 तथा आयकर नियम, 2026 के नियम 246 एवं 247।

1. धन-कर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत पंजीकृत तथा दिनांक 31.03.2026 की स्थिति में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, भोपाल के कार्यालय द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारित करने वाले समस्त मूल्यांकनों का ध्यान आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 514, जो आयकर नियम, 2026 के नियम 246 के साथ पठित है, के उन प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जो मूल्यांकनों के पंजीकरण को विनियमित करते हैं।
2. आयकर नियम, 2026 के नियम 246 के उप-नियम (4) के अनुसार, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो धन-कर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत पूर्व से ही मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत है तथा दिनांक 31.03.2026 की स्थिति में वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारित करता है, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 514 के अंतर्गत पंजीकृत मूल्यांकक के रूप में बना रहेगा। तथापि, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने पंजीकरण का अद्यतन कराने हेतु प्रपत्र सं. 169 में नवीन आवेदन दिनांक 30.09.2026 तक अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन सभी दृष्टियों से पूर्ण पाए जाने पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 514 के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान किया जाएगा।
3. आयकर नियम, 2026 के नियम 246 के उप-नियम (5) के अनुसार, वर्तमान पंजीकृत मूल्यांकनों द्वारा पंजीकरण के अद्यतन हेतु प्रपत्र सं. 169 में आवेदन प्रस्तुत करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।
4. अतः धन-कर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत पंजीकृत तथा इस परिपत्र के दायरे में आने वाले सभी मूल्यांकनों से अनुरोध/अपेक्षा की जाती है कि वे प्रपत्र सं. 169 में विधिवत् भरा हुआ अद्यतन आवेदन, समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित, दिनांक 30.09.2026 तक अथवा उससे पूर्व प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, भोपाल के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई मूल्यांकक दिनांक 30.09.2026 तक अथवा उससे पूर्व प्रपत्र सं. 169 प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 514 के अंतर्गत उसका पंजीकरण दिनांक 01.10.2026 से स्वतः निरस्त माना जाएगा तथा तत्पश्चात वह अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रयोजन के लिए पंजीकृत मूल्यांकक नहीं माना जाएगा।
6. अतः सभी संबंधित मूल्यांककों को सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त निर्देशों का संज्ञान लेते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे उनके पंजीकरण के निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न न हो।

7. यह परिपत्र प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, भोपाल के अनुमोदन प्राप्ति के उपरान्त जारी किया गया है।

टी. सुरेश
(टी.सुरेश)

आयकर अधिकारी(तकनीकी)

कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़), भोपाल

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. मुख्य आयकर आयुक्त, रायपुर को सूचनार्थ।
2. प्रधान आयकर आयुक्त-I, भोपाल/जबलपुर/इंदौर को सूचनार्थ।
3. प्रधान आयकर आयुक्त, ग्वालियर को सूचनार्थ।
4. संयुक्त निदेशक आयकर (सिस्टम्स), प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (म प्र एवं छग), भोपाल आयकर विभाग, भोपाल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
5. सभी भवन प्रभारी – अपने-अपने भवनों के सूचना पट्टों पर प्रदर्शित किए जाने हेतु।

टी. सुरेश

आयकर अधिकारी(तकनीकी)

कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़), भोपाल

नोट: हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के बीच किसी भी विसंगति, स्पष्टता या भ्रम की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।"